The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 9 | September 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

मानव अधिकार शिक्षा: दशा एवं दिशा

डॉ० नरेश कुमार सिंह

असि० प्रोफेसर (सीनियर स्केल), राजनीतिविज्ञान विभाग, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, औरंगाबाद, मगध विश्वविद्यालय, बिहार, भारत।

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17328945

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-09-2025

Published: 10-10-2025

Keywords:

मानव अधिकार शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्रसंघ।

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध-पत्र मानव अधिकार शिक्षा की महता, उसकी दशा एवं दिशा पर प्रकाश डालता है। शोध-पत्र में इस तथ्य का पड़ताल किया गया है कि मानव अधिकार शिक्षा संबंधी कार्ययोजना के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है। भारत एवं विश्व के अन्य राष्ट्रों में मानव अधिकार शिक्षण संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा एवं राष्ट्रीय नीति के अनुरुप वास्तव में हो रहा है अथवा नहीं। इस शोध-पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि मानव अधिकार शिक्षा किस प्रकार मानव अधिकार के संवर्द्धन एवं संरक्षण में सहायक सिद्ध हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा संबंधी काँग्रेस एवं काँफ्रेंस में पारित प्रस्तावों तथा 'वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन' की विवेचना की गई है। अध्ययन में यह पाया गया है कि अपेक्षा के अनुरुप भारत में मानव अधिकार शिक्षा की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है। वर्त्तमान समय में, बहुत कम ही शिक्षण संस्थानों में मानव अधिकार की शिक्षा दी जा रही है। यह स्थिति चिंतनीय है। शोध-पत्र में अध्यापकों को मानव अधिकार शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों एवं तथ्यों से अवगत कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन्हें सम्मिलित करने की अनुशंसा की गयी है। अध्ययन में यह पाया गया है कि भारत जैसे विकासशील देश में मानवाधिकार की औपचारिक

शिक्षा के साथ-साथ अनौपचारिक मानव अधिकार शिक्षा की ठोस कार्ययोजना निर्माण तथा उसके प्रभावशाली क्रियान्वयन की जरुरत है।

प्रस्तावना

मानवाधिकार के संवर्द्धन एवं संरक्षण में मानव अधिकार शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के व्यापक आयाम हैं। शिक्षा विभिन्न औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों से दी जा सकती है। शिक्षा द्वारा मानव का बौद्धिक विकास होता है। शिक्षा उचित-अनुचित का बोध कराती है। शिक्षा के द्वारा नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का विकास होता है, जो मनुष्य को उचित एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करने को प्रेरित करता है। मानवाधिकार की शिक्षा से व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को समझ पाता है। वह अपने हक के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति कानून की शक्ति, उसकी मर्यादा एवं सीमा से अवगत हो पाता है। वह कानून का पालन करता है। इस प्रकार, शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है। इस पृष्ठभूमि में, सभी व्यक्तियों को मानवाधिकार की औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा दिया जाना अपेक्षित है।

मानवाधिकार के प्रति आदर एवं उसे मान्यता प्रदान करना विश्व में स्वतंत्रता, शांति एवं न्याय की आधारशिला है। मानवाधिकार की अवहेलना व्यक्तिगत त्रासदी ही नहीं है, अपितु यह सामाजिक एवं राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करता है तथा समाजों एवं राष्ट्रों के बीच संघर्ष का बीज बोता है। मानवाधिकार के उचित क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को जाने। वस्तुतः, मानवाधिकार के संवर्द्धन एवं संरक्षण तथा मानव अधिकार शिक्षा के बीच गहरा संबंध है।

मानव अधिकार शिक्षा की शुरुआत को यदि हम ढूँढ़ना चाहें, तो इसे हम विश्व के विभिन्न देशों के प्राचीन दार्शनिकों एवं विचारकों के विचारों, चिंतनों, उपदेशों एवं दर्शनों में देख सकते हैं। खासकर, मानवाधिकार की आत्मा को हम भारतीय सभ्यता की "वसुधैव कुटुम्बकम्ब" एवं "नर नारायण" की अवधारणा में पा सकते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ही साहित्यों में हम समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, शांति एवं सद्भाव की अवधारणा पाते हैं। विशेषकर, पश्चिम में रूसो, रस्किन, प्लेटो एवं सुकरात तथा भारत में मनु, व्यासदेव, नारदमुनि, बुद्ध, महावीर, गाँधी और अन्य ने मानवाधिकार के सिद्धान्तों एवं शिक्षण को किसी न किसी रूप में प्रतिपादित किया है। इस प्रकार, मानव अधिकार शिक्षण को प्राचीन सभ्यताओं, चिंतनों एवं दर्शनों में पाया जा सकता है।

मानव अधिकार शिक्षा के उद्देश्य

मानव अधिकार शिक्षा का मूल उद्देश्य मानवाधिकार का संवर्द्धन एवं संरक्षण करना है। मानवाधिकार शिक्षा द्वारा जागरुक एवं संवेदनशील नागरिक तैयार किया जा सकता है, जो समतामूलक समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। टॉर्नी पुरता ने अपने अनुसंधान के आधार पर 1980 में मानवाधिकार शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य बतलाए:

1. मानवाधिकार संवर्द्धन के लिए छात्रों में सार्वभौमिक उत्कंठा जागृत करना।
2. मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विषय में उन्हें ज्ञानदेना।
3. छात्रों को उन मामलों पर विचार-विमर्श के लिए तत्पर बनाना, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हैं।
4. उन लोगों के प्रति छात्रों के मन में सहृदयता विकसित करना, जिनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

1974 में यूनेस्को ने मानव अधिकार शिक्षा के अग्रांकित उद्देश्यों पर बल दिया -

i. छात्रों में सभी देशों के लोगों, उनकी संस्कृति, मूल्यों तथा जीवन के ढ़ंगों के लिए समझदारी विकसित करना।
ii. छात्रों को लोगों तथा राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता के प्रति जागरूक बनाना।
iii. छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराना कि मानव अधिकार शिक्षा उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सामर्थ्य के विकास के लिए अनिवार्य है।
iv. छात्रों को शक्ति के दुरुपयोग से अवगत कराना, जिससे वे हिंसा से स्वयं को दूर रखने में समर्थ हो सकें।
v. मानव अधिकार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए।
vi. साथ ही, इसका उद्देश्य छात्रों में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना होना चाहिए।

इस प्रकार, मानव अधिकार शिक्षा का उद्देश्य सजग तथा जिम्मेदार नागरिक तैयार करके राष्ट्र का चतुर्दिक विकास करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय पर आधारित मजबूत समाज का निर्माण करना है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ और मानव अधिकार शिक्षा

'अपने अधिकारों को जानें' संयुक्त राष्ट्रसंघ का संदेश है। मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा का अनुच्छेद 26(2) कहता है कि शिक्षा मानव के सम्पूर्ण विकास की ओर निर्दिष्ट होगी और यह मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता के प्रति आदर को मजबूत करेगी। यह संदेश महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ वही व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके अधिकारों की अवहेलना नहीं की जा सकती है, जो अपने अधिकारों से अवगत है। अपने अधिकारों को जानने से दूसरों के अधिकारों के प्रति आदर उत्पन्न होता है और मानवाधिकार के संवर्द्धन एवं संरक्षण की दिशा में दृढ़ विश्वास तथा समर्पण का भाव पैदा होता है।

1968 में, तेहरान में हुए मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय काँफ्रेंस में सम्प्रभु राज्यों से यह अपील करने का निर्णय लिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि बदलते हुए विश्व परिदृश्य में मानवाधिकार की समस्या के प्रति रूचि उद्दीप्त करने हेतु शिक्षा के सभी साधनों का उपयोग किया जाए। यूनेस्को ने मानव अधिकार शिक्षा के संवर्द्धन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। 1978 में, वियना में मानव अधिकार शिक्षण पर हुए अंतर्राष्ट्रीय काँग्रेस तथा 1987 में, माल्टा में मानव अधिकार शिक्षण, सूचना एवं अभिलेखन पर हुए यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय काँग्रेस में सिद्धान्त तथा विचारणीय विन्दु प्रतिपादित किए गए, जो मानव अधिकार शिक्षण को निर्देशित करेंगे। इन दोनों काँफ्रेंस ने समान रूप से वर्णन किया कि मानव अधिकार शिक्षा का उद्देश्य मानव अधिकार में अंतर्निहित मूल्यों के प्रति सहनशीलता, आदर एवं पूर्णनिष्ठा की भावना का विकास करना होना चाहिए। मानव अधिकार शिक्षा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर दी जानी चाहिए और व्यक्तियों को मानव अधिकार को सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थ में परिणत करने के तरीकों एवं माध्यमों से अवगत कराना चाहिए। काँफ्रेंस में इस बात पर बल दिया गया कि व्यक्ति को सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति ही जागरूक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे दूसरों के अधिकारों का भी आदर करने के प्रति जागरूक करना चाहिए।

शिक्षा एवं प्रजातंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय काँग्रेस, मार्च 1993, माँट्रियल में अपनाए गए 'वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन' में अपील की गयी कि संयुक्त राष्ट्र परिवार की ओर से विश्व स्तर पर व्यक्तियों एवं समूहों को मानव अधिकार की शिक्षा देने के लिए संसाधनों को गतिशील किया जाए ताकि मानवाधिकार की अवहेलना को रोकने संबंधी आचरण को बढावा मिल सके। अधिगम, अर्थात् सीखना अपने आप में साध्य नहीं है, अपितु मानव अधिकार की अवहेलना को रोकने और प्रजातंत्र, विकास, सहिष्णुता एवं मानव के प्रति आदर आधारित संस्कृति के निर्माण का साधन है।

यह सच है कि शिक्षा वृहत् पैमाने पर मानव अधिकार की अवहेलना करनेवाले तथा मानव अस्तित्व को खतरा पहुँचानेवाले कारणों को निर्मूल नहीं कर सकती। इसके लिए विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक उत्तरदायी हैं।

किन्तु, शिक्षा वस्तुतः व्यक्ति के दिमाग को स्वतंत्र बनाती है और उसे सही दिशा में कार्य करने की क्षमता एवं प्रेरणा प्रदान करती है। मानव अधिकार शिक्षा व्यक्ति को दूसरों के आधारभूत एवं अदेय अधिकारों के प्रति बिना किसी भेदभाव के संवेदनशील बनाती है। यह व्यक्ति को अपने राष्ट्र के साथ-साथ विश्व के प्रति संवेदनशील बनाती है।

अतः, आज के बदलते विश्व परिदृश्य में हरेक स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा आवश्यक है। यह व्यक्ति को संकीर्णता से ऊपर उठाती है तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं मानव अधिकार पर आधारित सामाजिक परिवर्त्तन को पोषित करती है। सरकारों को ऐसी शैक्षिक कार्य-योजना तैयार करनी चाहिए, जो सहिष्णुता का संवर्द्धन करे और विभिन्न सामाजिक, जातीय एवं धार्मिक समूहों के साथ-साथ राष्ट्रों के मध्य शांति तथा समझ को पोषित करे। शिक्षाविद् एवं मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं के बीच विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा के तरीकों को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि गणित, विज्ञान, भूगोल की भाँति मानव अधिकार भी एक अध्ययन विषय हो और सिर्फ इसी तरीके से मानव अधिकार पाठ्यचर्या में उचित स्थान पा सकता है। दूसरी ओर, कुछ चिंतकों का विचार है कि मानव अधिकार की विषय-वस्तु सभी विषयों में सम्मिलित की जानी चाहिए और इस प्रकार इसका प्रसार सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की गतिविधियों में हो जाएगा। जोसे आयला लासो, भूतपूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयुक्त, के अनुसार, "मानव अधिकार संबंधी सभी शैक्षिक गतिविधियों का उद्देश्य मानवता की सामान्य भाषा का शिक्षण होना चाहिए। मानव अधिकार शिक्षा का एक विषय नहीं होना चाहिए, अपितु इसे सभी रूपों में शिक्षा के सभी पहलुओं में समाहित होना चाहिए।"

एशिया और अफ्रीका के कई देशों की अधिकांश आवादी निरक्षर है। जबतक विकासशील राष्ट्रों में वास्तविक साक्षरता का दर संतोषजनक स्तर पर नहीं पहुँच जाता है, मानव अधिकार शिक्षा पूरी तरह सफल नहीं हो सकती है। मानव अधिकार शिक्षा सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। प्रभावी मानव अधिकार शिक्षा के लिए इसे सामाजिक मानकों एवं संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। भारत में, यह प्रसारित धारणा है कि मानव अधिकार एक पाश्चात्य अवधारणा है, जो हम पर पाश्चात्य शक्तिओं के द्वारा थोपी जा रही है। यह एक भ्रामक धारणा है। वास्तव में, प्राचीन काल से विभिन्न रूपों में मानव अधिकार सभी मानव समुदायों की सांस्कृतिक विरासत रही है।

भारत और मानव अधिकार शिक्षा

भारत में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1980 में मानव अधिकार शिक्षा के संवर्द्धन हेतु विभिन्न तरीकों एवं माध्यमों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्त्ति एसo एमo सीकरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों

के लिए विभिन्न उपागम सुझाए। विद्यालयों एवं इंटरमीडिएट स्तरों पर मानव अधिकार मूल्यों को कहानियों, कविताओं, जीवनवृत्तों एवं इसी के समान अन्य साहित्यों के माध्यम से सीखाया जा सकता है। समिति की सिफारिश के अनुसार, विद्यालयीय बच्चों पर परीक्षा में अंक लाने के उद्देश्य से मानव अधिकार शिक्षण का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए। बल्कि, उनके अनुकरणीय दिमाग पर मानव अधिकार मूल्यों की छाप छोड़ने पर बल देना चाहिए। इसकी प्राप्ति हेतु, मानव अधिकार शिक्षण विद्यालय के खुले पाठ्यचर्या तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यह छुपे हुए पाठ्यचर्या में भी प्रतिबिम्बित होना चाहिए। यह विद्यालय के वातावरण में झलकना चाहिए। प्रारंभिक विद्यालय स्तर के बच्चों के लिए, मानव अधिकार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उनके कोमल एवं अनुकरणीय दिमाग में सकारात्मक प्रवृत्तियों एवं मूल्यों को विकसित करना होना चाहिए।

मध्य एवं बाद के बचपन में व्यापक दृष्टिकोण एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास से बच्चे दूसरों के मानव अधिकार के प्रति स्थायी सरोकार रखनेवाले एक जिम्मेवार तथा परिपक्व नागरिक बनने में समर्थ होंगे। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर ज्ञान को और क्रमवद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों को क्रियाशील होने के लिए क्षमता विकसित करने हेतु उत्साहित करना चाहिए। अधिक बौद्धिक परिपक्वतावाले छात्रों के साथ पाठ्यचर्या के विषयों के अधिक कल्पनाशील एवं अंतःक्रियात्मक तरीके से शिक्षण के अवसर हैं। पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रेस, चलचित्र, दूरदर्शन आदि संसाधनों का उपयोग मानवाधिकार के संदेशों को सही तरीके से सम्प्रेषित करने के लिए करना चाहिए। सीकरी समिति का स्पष्ट विचार था कि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तरों पर मानवाधिकार के मूल्यों एवं विषयों को पुस्तकों एवं अन्य पाठों द्वारा पढ़ाया जा सकता है। समिति ने यह भी महसूस किया कि विज्ञान, वाणिज्य, अभियंत्रण एवं चिकित्सा के स्नातकों को भी मानवाधिकार के कतिपय दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, कम से कम मानवाधिकार के उन पक्षों से जो उनके अनुशासन से प्रत्यक्ष रूप से संगत हों। समिति का विचार था कि चुने हुए विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिविज्ञान अथवा विधि जैसे संबंधित विभागों को मानवाधिकार में डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करना चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार जागरुकता एवं मानवाधिकार शिक्षा के संवर्द्धन की दिशा में देश में कई कदम उठाए हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (h) के अंतर्गत, आयोग के अध्यक्ष ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखा कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में मानवाधिकार विषय को इसके सभी आयामों के साथ स्पष्ट स्थान दिया जाए। मानवाधिकार से संबंधित शोध, सेमिनार एवं प्रकाशनों को प्रोत्साहित किया जाए। नेशनल लॉ स्कूल, बैंगलौर ने इस क्षेत्र में अगुआई की है। कई विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में कदम बढ़ाये हैं। जे.एन.यू., बी.एच.यू., पंजाब, हैदराबाद, वर्द्धमान, दुमका, गौहाटी, लखनऊ, पूणे, आदि विश्वविद्यालयों ने मानवाधिकार विषय में कोर्स प्रारम्भ किए हैं। बाबा

साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, लखनऊ मानवाधिकार विषय में एलoएलoएमo और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय मानवाधिकार में डिप्लोमा कोर्स संचालित करता है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय, बिहार में बाल श्रम उन्मूलन, महिलाओं में कानूनी जागरुकता तथा बाल एवं महिला अधिकार विषय पर सर्टिफिकेट कोर्स संचालित है। इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, नई दिल्ली जैसी संस्था भी मानव अधिकार शिक्षा में दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा कोर्स संचालित कर रही है। साथ ही, अन्य गैर-सरकारी संगठन औपचारिक एवं अनौपचारिक रुप से मानव अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। परन्तु, अध्ययन बतलाता है कि भारत में मानव अधिकार शिक्षा की व्यवस्था व्यापक एवं पर्याप्त नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दो दशकों से अधिक समय से मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य विषय में जेoआरoएफo/नेट की परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसमें उत्तीर्णता के आधार पर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मानवाधिकार विषय में सहायक आचार्यों की नियुक्तियाँ की जा सकती हैं। हालांकि, भारत में कुछ विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों ने मानवाधिकार में पीoजीo कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं, किन्तु इनकी संख्या बहुत कम है। आश्चर्य की बात है कि अबतक अधिकांश विश्वविद्यालयों में मानवाधिकार विषय का अलग विभाग नहीं खुला है। मानवाधिकार विषय में जेoआरoएफo/नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, किन्तु इस विषय में सहायक आचार्य की नियुक्ति नहीं हो रही है। मानवाधिकार विषय में स्नातकोत्तर एवं जेoआरoएफo/नेट उत्तीर्ण अधिकांश अभ्यर्थी वर्षों से बेरोजगार हैं अथवा अपनी योग्यता के विपरीत गरिमाहीन कार्यों द्वारा अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करने पर विवश हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस दिशा में उदासीन है। वस्तुतः, यह एक गंभीर एवं विचारणीय प्रश्न है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् ने मानवाधिकार पर एक "सोर्स बुक" प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, नीति-निर्मात्ताओं, पाठ्यचर्या विकसित करनेवालों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में संलग्न अन्य कार्मिकों को एक जगह मानवाधिकार एवं मानवाधिकार शिक्षा से संबंधित प्रमुख दस्तावेजों का संग्रह उपलब्ध कराना रहा है। इस क्रम में, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् ने प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों के लिए शिक्षक-अनुदेशकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक प्रोजेक्ट तैयार किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1995-2004 को मानवाधिकार दशक घोषित किया। यह मानवाधिकार के संवर्द्धन एवं संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भविष्य में कार्ययोजना बनाने तथा कार्य करने हेतु सदस्य राज्यों एवं पूरे विश्व के लोगों को सशक्त रूप से स्मारित करना था।

अनुशंसा एवं निष्कर्ष

वर्तमान में, यूरोपीय संघ और काउंसिल ऑफ यूरोप ने शिक्षा में मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को अनिवार्य बनाया है। अमेरिका में कई विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार अध्ययन के विशेष विभाग और शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं।जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस में मानव अधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम का आवश्यक हिस्सा बनाया गया है। अन्य देश भी मानव अधिकार शिक्षा पर बल दे रहे हैं। किन्तु, विश्व स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा को सरल, सर्वसुलभ एवं व्यापक बनाने की जरुरत है।

वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों में मानव अधिकार शिक्षण का उन्मुखीकरण प्रायोगिक होना चाहिए। वयस्कों को सिर्फ यह शिक्षा देना कि मानव अधिकार क्या है, पर्याप्त नहीं है। वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का उपयोग वयस्कों के बीच इस बात पर बल डालने के लिए किया जाना चाहिए कि सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ने एवं मानवाधिकार को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उस संदर्भ में, वयस्कों द्वारा संस्था अथवा समूहों के रूप में संगठित होने के प्रायोगिक मूल्य पर बल दिया जाना चाहिए। वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों में इस संदेश को प्रखरता के साथ प्रसारित किया जाना चाहिए कि मानवाधिकार के हनन के मामले इसलिए बहुधा वीभत्स रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हम सक्रिय एवं सर्त्तक नहीं हैं। यहाँ तक कि किसी एक व्यक्ति के मानवाधिकार के हनन के मामले के प्रति पूरे समुदाय को संवेदनशील होना चाहिए। उचित एवं विचारपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित किए जाने चाहिए। रेडियो एवं टेलीविजन मानवाधिकार के संदेश को देश के हरेक कोने में पहुँचा सकते हैं और लोगों को मानवाधिकार के मामलों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। ये माध्यम मानवाधिकार के संवर्द्धन एवं संरक्षण के प्रति लोगों को जागरुक करने में सशक्त उपकरण साबित हो सकते हैं।

मानव अधिकार शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के मुख्य साधन अध्यापक हैं। अतः, अध्यापकों को मानव अधिकार शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों एवं तथ्यों से अवगत कराना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण के समय निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए:

(क) प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानवाधिकारों के महत्त्व से छात्राध्यापकों को अवगत कराना।

(ख) छात्राध्यापकों को माध्यमिक तथा उच्चत्तर माध्यमिक स्तर पर मानवाधिकारों की शिक्षण विधियों से अवगत कराना। साथ ही, इन स्तरों पर इनके शिक्षण की आवश्यकता से उन्हें अवगत कराना।

(ग) मानवाधिकारों तथा लोकतंत्रीय प्रणाली से संबंधित पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियायों को संगठित करने की योग्यता का उनमें विकास करना।

(घ) समुदाय के लोगों को मानवाधिकारों की सरल तरीके से जानकारी देने की क्षमता का उनमें विकास करना शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य होना चाहिए।

(ङ) मानवाधिकार के संवर्द्धन संबंधी छात्रों के परियोजना-कार्य का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तकनीकों से छात्राध्यापकों को अवगत कराना।

निष्कर्षतः, मानव अधिकार शिक्षा अपरिहार्य है, क्योंकि यह बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक-सामाजिक एवं राजनीतिक हैसियत संबंधी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के मौलिक मानवाधिकार को सुनिश्चित करने का साधन है। मानवाधिकार शिक्षा लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती है, जो महिला को समाज तथा राष्ट्र की शांति एवं समृद्धि में समान रूप से योगदान करने में समर्थ बनाती है। मानव अधिकार शिक्षा भारतीय संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों में सन्निहित मौलिक स्वतंत्रता के प्रति जागरुकता लाती है।

औपचारिक तथा अनौपचारिक मानवाधिकार शिक्षा की ठोस एवं व्यावहारिक नीति के निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही, विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में इन नीतियों के क्रियान्वयन पर बल दिया जाना चाहिए। मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य की सामान्य जानकारी विद्यालय स्तर पर दी जानी चाहिए। महाविद्यालय स्तर पर एक विषय के रूप में इसका शिक्षण आवश्यक है। कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पर स्वतंत्र विभाग की स्थापनाकर मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य विषय का व्यापक शिक्षण किया जाना अपेक्षित है। वहाँ, शोध, सेमिनार, कार्यशाला, विचार-गोष्ठी, शोध-पत्रिका के प्रकाशन, क्षेत्र-भ्रमण एवं केस स्टडी आधारित परियोजना-कार्य आदि संगत गतिविधियों को अनिवार्य रूप से संचालित करने पर बल दिया जाना चाहिए। निचले स्तर पर मानवाधिकार विषय पर भाषण, निबंध, वाद-विवाद, लघु परियोजना-कार्य आदि गतिविधियाँ संचालित की जा सकती हैं। औपचारिक शिक्षण संस्थानों की पहुँच से बाहर के लोगों को अनौपचारिक मानव अधिकार शिक्षा दी जानी चाहिए। सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों एवं राष्ट्रों में यह मानव अधिकार के शिक्षण का सशक्त साधन साबित हो सकता है।

अन्त में, हम कह सकते हैं कि भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारें मानव अधिकार शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं दीख रही हैं। मानवाधिकार हनन के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में अधिकांश कार्य बिना रिश्वत दिए नहीं हो पाते हैं। अधिकांश कार्यालयों के शीर्षस्थ अधिकारी शिकायत करने पर न्याय नहीं दिला पाते हैं। अनगिनत घोटालों के मामले सामने आए हैं। यहाँ तक कि विभिन्न मेधा घोटाले उजागर हुए हैं और हो रहे हैं। मेधावी, योग्य एवं सक्षम अभ्यर्थियों को कई बार उनका उचित स्थान नहीं मिल पाता है। मानवाधिकार हनन के वीभत्स एवं घृणित मामलों में सरकार मजबूरन सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव में विवशतावश तत्काल कुछ कार्रवाई कर देती है, किन्तु कई मामलों में प्रभावित लोगों को दशकों बाद भी न्याय नहीं मिल पाता है। कई मामलों में जाँच एजेंसियाँ वर्षों एवं दशकों में भी जाँच-कार्य पूर्ण नहीं कर पाती हैं। जटिल, खर्चीली एवं विलम्बकारी न्यायिक व्यस्था के कारण न्यायालय निम्न आय-वर्ग यहाँ तक कि बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के पहुँच के बाहर हैं। कुछ वर्षों के पश्चात् बहुत से व्यथित व्यक्ति मानवाधिकार हनन संबंधी अपनी व्यथा को भूलने का प्रयास करने लगते हैं तथा इसे नियति मानकर संतोष कर लेते हैं। इन परिस्थितियों में, कई व्यक्ति न्याय पाये बिना ही स्वर्ग सिधार जाते हैं।

इस प्रकार, मानव अधिकार शिक्षा की महत्ता को महसूस की जा सकती है। जबतक लोग मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य से अवगत तथा उसके प्रति जागरूक एवं संवेदनशील नहीं होंगे, तबतक मानवाधिकार के हनन को रोका नहीं जा सकता है। मानवाधिकार हनन के विरुद्ध संगठित रूप से आवाज उठाने की जरुरत है। इस दिशा में सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में औपचारिक मानव अधिकार शिक्षा से अधिक जरूरी इसकी अनौपचारिक शिक्षा है। निःसंदेह, औपचारिक एवं अनौपचारिक मानव अधिकार शिक्षा के उद्देश्यपूर्ण व्यावहारिक कार्यक्रमों का निर्माण एवं उनका पूरे मनोयोग से हरेक स्तर पर ईमानदारीपूर्वक क्रियान्वयन किया जाना अपेक्षित है।

संदर्भ सूची:

1. अब्दुल्ला, रहीम (सम्पा०), 1991, एसेज ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, एशियन पब्लिकेशन, वीजापुर, नई दिल्ली।
2. बक्सी, उपेन्द्र (सम्पा०), 1987, द राइट् टू बी ह्यूमन, लैंसर इंटरनेशनल।
3. चाँद, अतर, 1985, पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एण्ड सिविल लिबर्टीजः ए ग्लोबल सर्वे, यू० पी० एच० पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
4. देसाई, ए० आर०, 1986, वायोलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया, पोपुलर प्रकाशन, मुम्बई।

5. दीवान पारस एण्ड दीवान पीयूषी, 1996, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

6. गुप्ता, विनय केo (सम्पाo), 1996, पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन राइट्स, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

7. कश्यप, सुभाष सीo, 1995, ह्यूमन राइट्सः इसूज एण्ड पर्सपेक्टिव, रीजेन्सी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

8. सक्सेना, केoपीo (सम्पाo), 1994, ह्यूमन राइट्सः पर्सपेक्टिव एण्ड चैलेंजेज, लैंसर बुक्स, नई दिल्ली।

9. सिंह, नागेन्द्र, 1981, ह्यूमन राइट्स एण्ड द फ्यूचर ऑफ मैनकाइन्ड, वैनिटी बुक्स, नई दिल्ली।

10. सिंह, कृष्णबीर, 2015, शिक्षा के सिद्धान्त, पेपर-I , एमoएo, शिक्षा , पार्ट-I, अध्ययन सामग्री, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना।

11. इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, नई दिल्ली के पीoजीoडीoएचoआरo कोर्स की अध्ययन सामग्री के विभिन्न वॉल्यूम।

12. ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव, आईoएसoएसoएनo- 0975 0541, रिसर्च जर्नल, ह्यूमन राइट्स प्रमोशन एण्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पटना के विभिन्न अंक।

***